



पत्रांक

/मू0अनु0/2023-24

दिनांक-

कार्यालय आदेश

मा0 निदेशक मण्डल की 264वीं बैठक के मद सं0-264/19 पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-21 में M.S.M.E. योजना के अन्तर्गत नियोजित लघु गैर प्रदूषणकारी उद्योग के भूखण्डों की विकसित भूमि दर निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मा0 निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

“आवासीय दर का 1.50 गुना दर के आधार पर पंजीकरण खोला जाए। तदोपरान्त अवशेष बचे भूखण्डों को आरक्षण के हिसाब से नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जाय”

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे।

(डा0 महेश चन्द्र पाण्डेय)

वित्त नियंत्रक

दिनांक 20/2/24

पू0सं0 975

/उक्त/

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
2. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
3. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. निदेशक, ग्लोबल सेल/गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5. समस्त वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
8. समस्त संयुक्त/जोनल/उप आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
10. समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
11. निजी सचिव, आवास आयुक्त को महोदय के अवलोकनार्थ।
12. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय अनुभाग, मुख्यालय को अनुपालन आख्या हेतु।

वित्त नियंत्रक